"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़-गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2010—ज्येष्ठ 21, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/37/2009/वाक/पांच (46).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख सहपठित छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-10-2000-विक-पांच (11) दिनांक 21-01-2000 में जारी दिनांक 21 जनवरी, 2000 से निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 9 के सामने कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि "अंशत: धारा 9 के अधीन कर की दर शून्य प्रतिशत" के स्थान "धारा 9 एवं 10 के अधीन सम्पूर्ण कर से छूट" प्रतिस्थापित की जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्रमांक एफ-10/37/2009/वाक/पांच (46).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/37/2009/वाक/पांच (46), दिनांक 11-06-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 11th June 2010

NOTIFICATION

No. F-10/37/2009/CT/V (46).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) read with section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) of the State Government hereby makes the following amendment in this department notification No. A-3-10-2000-VK-V (11) dated 21-01-2000 with effect from 21st January, 2000 :—

AMENDMENT

In Schedule to the said Notification in S. No. 9 for the existing entry in column (3) "Partly so as to reduce the rate of tax under section 9 to zero percent" to "Exempted from whole tax under section 9 and 10" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.